भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of Indi
Ministry of Commerce & Industr
SEEPZ Special Economic Zone Authorit
Andheri (E), Mumbai - 40009

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

No. E-OPT-11/56/2022-ACC/FNC/08159 **Date:07.08.2026**

कार्यालय आदेश संख्या. 26 /2026

विषय: निविदा/नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित इकाइयों के संबंध में किराये की प्रयोज्यता एवं अंतिम आवंटन पत्र जारी करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) – संबंधी।

Subject: STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR APPLICABILITY OF RENT AND ISSUANCE OF FINAL ALLOTMENT LETTER IN RESPECT OF UNITS ALLOTTED THROUGH TENDER/AUCTION PROCESS – reg.

1. उद्देश्य

सीप्ज़ -सेज़ के अंतर्गत निविदानीलामी/ प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित इकाइयों के लिए किराये की प्रयोज्यता, अंतिम आवंटन पत्र जारी करने तथा कब्जा हस्तांतरित करने के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करना, जिससे सभी संबंधित अनुभागों एवं आवंटित इकाइयों में पारदर्शिता, एकरूपता तथा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

1. Objective

To establish a Standard Operating Procedure regarding the applicability of rent, the issuance of final allotment letter, and the handing over of possession for units allotted through the tender/auction process within SEEPZ-SEZ, thereby ensuring transparency, uniformity, and timely compliance across all concerned sections and allotted units.

2. कार्यक्षेत्र

यह मानक संचालन प्रक्रिया)SOP) निविदानीलामी प्रक्रिया के माध्यम से/ आवंटित सभी इकाइयों पर लागू होगी तथा इसका पालन क्रय प्रकोष्ठ अनुभाग)Procurement Cell Section), I A - I अनुभाग, संपदा अनुभाग)Estate Section), वित्त अनुभाग)Finance Section) तथा सभी संबंधित अनुभागों द्वारा किया जाएगा।

2. Scope

This SOP shall be applicable to all units allotted through Tender/Auction process and shall be followed by Procurement Cell Section, IA-I Section, Estate Section, Finance Section and all concerned sections.

3. **किराये की प्रयोज्यता**

यह देखा गया है कि आशय पत्र (Letter of Intent - LOI) जारी होने, इकाई अनुमोदन समिति (Unit Approval Committee - UAC) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति, स्वीकृति पत्र (Letter of Approval - LOA) जारी होने तथा अंतिम आवंटन पत्र जारी होने के बीच समय का अंतराल होता है। आवंटन प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, आवंटित परिसर के संबंध में किराया तथा अन्य लागू प्रभार स्वीकृति पत्र (LOA) जारी होने की तिथि से देय होंगे।

3. **Applicability of Rent**

It has been observed that a time gap exists between issuance of Letter of Intent (LOI), approval of proposal by the Unit Approval Committee (UAC), issuance of Letter of Approval (LOA) and issuance of Final Allotment Letter. In order to maintain uniformity in the allotment process, rent and other applicable charges in respect of the allotted premises shall be applicable from the date of issuance of Letter of Approval (LOA).

अंतिम आवंटन पत्र की प्रभावी तिथि वही होगी जो स्वीकृति पत्र (**Letter of Approval - LOA)** जारी होने की तिथि होगी।

The effective date of the Final Allotment Letter shall be the same as the date of issuance of Letter of Approval (LOA).

सभी संबंधित अनुभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि किराये की गणना तथा बिलों का निर्गमन **LOA** जारी होने की तिथि से किया जाए।

All concerned sections shall ensure that rent is calculated and bills are raised from the date of issuance of LOA.

भविष्य में जारी किए जाने वाले **RFP**/निविदा दस्तावेजों में भी **LOA** जारी होने की तिथि से किराया लागू होने संबंधी आवश्यक प्रावधान क्रय प्रकोष्ठ अनुभाग (**Procurement Cell Section)** द्वारा सम्मिलित किए जाएंगे।

Necessary provision regarding applicability of rent from the date of issuance of LOA shall also be incorporated in future RFP/Tender documents by the Procurement Cell Section.

4. **प्रक्रिया**

क्रय प्रकोष्ठ अनुभाग (Procurement Cell Section) स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा/नीलामी आमंत्रित करेगा तथा बोली प्रक्रिया पूर्ण करेगा। अतिरिक्त ईएमडी (Additional EMD)

4. **Procedure**

The Procurement Cell Section shall float Tender/Auction and complete the bidding process as per approved guidelines. Upon receipt and verification of Additional EMD, Letter of Intent (LOI) shall be issued to the successful bidder through RISE ERP Portal.

प्राप्त होने एवं उसके सत्यापन के उपरांत, सफल बोलीदाता को RISE ERP पोर्टल के माध्यम से आशय पत्र (Letter of Intent - LOI) जारी किया जाएगा।

आशय पत्र **(LOI)** जारी होने के पश्चात, आवंटी इकाई **(Allottee Unit) LOI** जारी होने की तिथि से **3 0** दिनों के भीतर निर्धारित सभी दस्तावेजों एवं अनुपालनों सहित अपना प्रस्ताव **IA-I** अनुभाग को प्रस्तुत करेगी। **IA-I** अनुभाग प्रस्ताव की जांच करेगा तथा विचारार्थ उसे अगली उपलब्ध इकाई अनुमोदन समिति **(Unit Approval Committee - UAC)** की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

After issuance of the Letter of Intent (LOI), the allottee unit shall submit its proposal along with all prescribed documents and compliances to IA-I Section within 30 days from the date of issuance of LOI. IA-I Section shall scrutinize the proposal and place the same before the next available Unit Approval Committee (UAC) Meeting for consideration.

UAC बैठक में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, **IA-I** अनुभाग द्वारा स्वीकृति पत्र **(Letter of Approval - LOA)** जारी किया जाएगा तथा जारी किए जाने के उसी दिन **RISE ERP** पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

After approval of the Competent Authority in the UAC Meeting, the Letter of Approval (LOA) shall be issued by IA-I Section and uploaded on the RISE ERP Portal on the same day of issuance.

इसके पश्चात, संपदा अनुभाग **(Estate Section)** अंतिम आवंटन पत्र जारी करेगा। अंतिम आवंटन पत्र की प्रभावी तिथि वही होगी जो **LOA** जारी होने की तिथि होगी तथा उसी तिथि से किराया देय होगा।

Thereafter, the Estate Section shall issue the Final Allotment Letter. The effective date of the Final Allotment Letter shall be the same as the date of issuance of LOA and rent shall become applicable from such date.

5. भुगतान एवं कब्जा

आवंटी इकाई (Allottee Unit) स्वीकृति पत्र (Letter of Approval - LOA) जारी होने की तिथि से 15

5. **Payment and Possession**

The allottee unit shall deposit Security Deposit, Advance Quarterly Rent, Firecess, Service Charges, BMC charges and other

दिनों के भीतर RISE ERP पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा जमा (Security Deposit), अग्रिम त्रैमासिक किराया (Advance Quarterly Rent), फायर सेस (Firecess), सेवा प्रभार (Service Charges), बीएमसी प्रभार (BMC Charges) तथा अन्य लागू प्रभार जमा करेगी।

applicable charges through RISE ERP Portal within the 15 days from the issuance of the LOA.

आवंटी इकाई अंतिम आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कब्जा प्राप्ति रसीद (**Possession Receipt**) निष्पादित करेगी। यदि आवंटी इकाई निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा प्राप्ति रसीद निष्पादित करने में विफल रहती है, तो **SEEPZ-SEZ** प्राधिकरण द्वारा बेदखली की कार्यवाही सहित उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

The allottee unit shall execute the Possession Receipt within 15 days from the date of issuance of the Final Allotment Letter. In case the allottee unit fails to execute the Possession Receipt within the stipulated period, appropriate action, including eviction proceedings, may be initiated by the SEEPZ-SEZ Authority.

6. **अनुपालन**

सभी संबंधित अनुभाग इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित प्रक्रिया से किसी भी प्रकार के विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

6. **Compliance**

All concerned sections shall strictly comply with this SOP.

Any deviation from the prescribed procedure shall require prior approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
SANDIP DINKAR BHOSALE
Date: 07-08-2026
17:04:21

(संदीप डी .भोसले)
उप विकास आयुक्त
सीप्ज़ -सेज़

Copy to:

1. JDCO/DDCO/DCO
2. All Assistant Development Commissioners, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
3. IA-I Section.
4. Estate & Finance Section.
5. Finance (CA) Section.

6. System/RISE ERP Section.
7. All concerned Sections.
8. IT Section